संख्या-55/2019 /2619/71-2-19-34/2018

प्रेषक,

डा0 रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18 नवम्बर, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या 31-के अंतर्गत मानक मद-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-डीआईआर/सीआई/60/358/2019-20, दिनांक 31-10201-9 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की सूची अनुमोदित करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों के लिए ई-प्रोक्योरमेन्ट, ई-मार्केट के माध्यम से चिकित्सकीय उपकरणों के क्रय हेतु मानकीकृत तकनीकी विशिष्टिताओं के निर्धारण विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4090/71-2-2017-जी'307/2017, दिनांक 28-12-2017, शासनादेश संख्या-753/71-2-2018-जी-307/2017, दिनांक 06-03-2018, एवं शासनादेश संख्या -208/71-2-2018-जी-243/2017, दिनांक 18-01-2018 द्वारा उपकरण की सूची अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 तक वैधता प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष) उक्त शासनादेशों में उल्लिखित उपकरणों के अतिरिक्त (उपकरणों की सूची (प्रति संलग्न) अनुमोदित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है -:

1) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही सम्बन्धित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
2) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-3201-9 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
3) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
4) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों)Technical Specifications (का यथासम्भव समावेश किया जाये।

5) वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी 0एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6) उ0प्र0 के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016,दिनांक 23 अगस्त 2017, शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016,दिनांक 25 अगस्त 2017 तथा शासनादेश संख्या-14/2017/553/18-2-2017-97(ल0उ0) / 2016,दिनांक 29 अगस्त 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना आवदेक निदेशक/वित्त अधिकारी/ विभागाध्यक्ष /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी।

8) संस्थान के वित्त नियंत्रक्/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।

9) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात्, यदि उपकरण क्रय के पश्चात् धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

10) संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुडस),2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णत :अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

12) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र) क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित (यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

13) प्रोपाटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।

15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय , आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

16) निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1201/9/बी1-1-7/0दस201-9201/231-9, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-55/2019 /2619(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार) लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार) सिविल आडिट (प्रथम/द्वितीय, उ0प्र 0इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त)व्यय नियंत्रण (अनुभाग/3-नियोजन अनुभाग/4-वित्त) आय-व्ययक (अनुभाग2-
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।